लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.1(7)लोआस/1986/पार्ट/15396 जयपुर, दिनांकः–20/01/2022

विज्ञप्ति

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 02 (पदो की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है) अस्थाई रिक्त पद(अनारक्षित 02) पर निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र आवेदको से आवदेन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते है आवेदन करने वाले आवेदको के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यताऐं अपेक्षित है तथा इन पर निम्न शर्ते लागू होगी।

1. रिक्त पदों का विवरण :–

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	रिक्तियो की संख्या
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200–20200 ग्रेड पे 1700	2

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के पदों की आरक्षण स्थिति निम्नानुसार है :–

अनारक्षित	कुल
2	2

2. विशेष नोट :–

a) चतुर्थ श्रेणी के पद सीधी भर्ती द्वारा अस्थायी रूप से भरे जायेगें।

b) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

c) सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) के परिपत्र/आदेश लागू होंगे।

d) यदि किसी वर्ग में पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो उस दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूर्ष अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

20/01/2022

3. आवेदन की प्रकिया :

आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार इस कार्यालय की वैबसाइट http://lokayukta.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र को सुस्पष्ट लेखनी में अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 10 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियॉ व शपथ–पत्र आदि संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र पर आवेदक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगाना होगा तथा आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

आवेदन पत्र दिनांक..04.02.2022 को सांयः 6:00 वजे तक लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, जयपुर में साधारण डाक के माध्यम से पहुॅच जाना चाहिये। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है । इस विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा उन्हे निरस्त कर दिया जावेगा।

नोटः– साधारण डाक के अतिरिक्त व्यक्तिश, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

4. राष्ट्रीयताः–

a. भारत का नागरिक हो या
b. नेपाल का प्रजाजन हो या
c. भूटान का प्रजाजन हो या
d. ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01.01.1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था या
e. भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रिका देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोंटः– परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (b), (c), (d), (e) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20/01/2022

5. सीधी भर्ती के लिये आयु :–

आवेदक दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु उच्चतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान निम्न प्रकार होगें –

क्र. सं.	अभ्यर्थियो का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षो में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3	सामन्य वर्ग की महिला		5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नही
5	विशेष योग्य जन	सामान्य	10
		अन्य पिछडा/विशेष पिछडा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15
6	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।		
7	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिक आयु का नही था और इन नियमो के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।		
8	राज्य सेवा में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।		
9	केडेट इनस्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होने एनसीसी में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होगी तो उन्हे निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।		
10	सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।		
11	कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रिकी देशो से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।		
12	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 में निहित प्रावधान के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध उनकी उपरी आयु सीमा 50 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए, परन्तु		

20/01/2022

	सैन्य कॉस/वीर चक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट :–

1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छुट के प्रावधान असंचयी हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. शासन से प्राप्त सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण में किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी उपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
3. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थीयों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
4. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते है, अपनी निशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्तता का होने पर ही आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

6. शैक्षणिक योग्यताः–

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने वाला अभ्यर्थी किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

7. स्वास्थ्यः–

आवेदक अच्छे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से युक्त नही होना चाहिए जो उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डालते हों। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण–पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा।

20/01/2022

8. स्थाई पारितोषणा एवं पेंशन योजनाः–

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृखंला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतीपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

9. चरित्रः–

चयन होने की स्थिति मे नियुक्ति के पूर्व आवेदक को दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जारी सद्चरित्र के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगें जो प्रस्तुति की दिनांक से छः महिने पहले के न हों और अभ्यर्थीयों के रिश्तेदार द्वारा दिये हुए नहीं हो।

10. आवेदन पत्र के साथ पेश किये जाने वाले वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपियॉ व शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आदिः–

a. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि
b. आयु सीमा में छूट चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं, अन्य पिछड़ा सवर्ग/विशेष पिछड़ा सवर्ग/ आवदेक आदि के जाति प्रमाण–पत्र एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा संवर्ग के प्रमाण –पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
c. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि
d. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
e. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं, अन्य पिछड़ा सवर्ग/विशेष पिछड़ा सवर्ग/ आवेदकों के जाति प्रमाण–पत्र एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा संवर्ग के प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि।

[signature] 25/01/2022

f. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

g. विशेष योग्यजन के मामलों में नियमानुसार निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

h. जिनका विवाह दिनांक 22.05.2006 या उसके पश्चात हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित होने का शपथ–पत्र।

i. इस आशय का शपथ–पत्र कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दंडित नही किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्वित नही है।

j. इस आशय का शपथ–पत्र की उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

11. नियुक्ति के लिये निरहर्ताएँः–

a. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, वहां संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानो को एक ईकाई समझा जावेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी नियम/आदेश/परिपत्र लागू होगें।

b. किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी नियम/आदेश/परिपत्र लागू होगें।

c. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी नियम/आदेश/परिपत्र लागू होगें।

d. किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

25/01/2022

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961 (सेंट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।

e. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस पद हेतु आवेदन के पात्र नहीं होगें।

f. यदि अभ्यर्थी लिखित व मौखिक सिफारिश करवाता है तो नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जावेगा।

g. उक्त भर्ती के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र/निर्देश सर्वथा लागू होगें।

12. साक्षात्कारः–

अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन साक्षात्कार से होगा। उक्त साक्षात्कार में अभ्यर्थी अपने समर्थन में विशेष योग्यता/अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत कर सकेगा।

साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए आवेदकों को उनके साक्षात्कार की दिनांक, समय व स्थान आदि की सूचना इस सचिवालय की वेबसाईट http://lokayukta.rajasthan.gov.in एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी इसलिये वह समय समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करता रहे। **साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने हेतु किसी भी आवेदक को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।** आवेदक जिन प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियॉ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे उन सभी मूल प्रमाण-पत्रों को साथ लेकर आवे।

उपरोक्त भर्ती के सम्बन्ध में समस्त सूचनाएं लोकायुक्त सचिवालय जयपुर की वेबसाईट http://lokayukta.rajasthan.gov.in एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेंगी तथा समस्त जानकारी प्राप्त करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। भर्ती कार्यक्रम एवं परिणाम की दिनांक तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों की सूचना उक्त वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर उपलबध करा दी जावेगी जिसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी।

सचिव 20/01/2022

लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, जयपुर

चतुर्थ श्रेणी पद हेतु सीधी भर्ती का आवेदन–पत्र

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. व्यक्तिगत विवरण –

नामः–

पिता/पति का नामः–

जन्म तिथिः–	आयु (01.01.2022):– ....वर्ष..........माह........दिन

उच्चतम आयु में छूट का आधार(यदि हो तो):–

संवर्ग (सामान्य/अजा/अजजा/अ.पि.व/ई.डब्ल्यू.एस) –

वैवाहिक स्थितिः–

अविवाहित	विवाहित (पति/पत्नी का नाम)	विच्छिन विवाह (परित्यक्ता)	विधवा	विधुर	पुनर्विवाहित

पत्राचार/स्थाई निवास का पताः–

2. पत्राचार का पताः–..

....

....

....

....पिनः–..................................

मोबाईल नम्बरः–..	ई:मेल आईःडीः–

3. स्थाई निवास का पताः—..

....

....

....

....पिनः—..........................

मोबाईल नम्बरः—..

ई:मेल आई:डी:—

4. शैक्षणिक योग्यताः—

क्र.स	परीक्षा, जो उत्तीण की है	प्राप्तांकों का प्रतिशत	श्रेणी/ग्रेड	वर्ष	विद्यालय/बोर्ड/का नाम
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

5. विशेष योग्यता/अनुभव यदि कोई हो तो

आवदेक के हस्ताक्षर

मैं.. सत्यापित करता हूँ कि प्रार्थना—पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य जानकारी में सत्य हैं।

दिनांकः—

आवदेक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के लिफाफे पर निम्न सूचनाए अंकित करें –

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2022 हेतु आवेदन–पत्र

सचिव

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान

शासन सचिवालय परिसर जयपुर

(राज.) पिन – 302005

प्रेषक –

....

....